न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–65/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. श्रीमती मूर्ति देवी पुत्री स्व0 श्री मुरली पत्नि श्री नानगराम,
2. श्रीमती कमला पुत्री स्व0 श्री मुरली पत्नि श्री भुल्लूराम,
3. श्रीमती सन्ता देवी पुत्री स्व0 श्री मुरली पत्नि श्री फूलचन्द, जाति चमार, निवासीयान ग्राम चिकानी, तहसील अलवर।

.... वादीगण/अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती रम्भो देवी पत्नि स्व0 श्री हरफूल चमार (मृतक)
2. मनीराम पुत्र श्री हरफूल जाति चमार मृतक जरिये वारिसान

2/1 श्रीमती फूलवती पत्नि मनीराम जाति चमार
2/2 सूरज पुत्र मनीराम जाति चमार
2/3 मैना पुत्री मनीराम जाति चमार,
2/4 सरोज पुत्री मनीराम जाति चमार,

3. सीताराम पुत्र स्व0 श्री हरफूल जाति चमार
4. सन्तराम पुत्र स्व0 श्री हरफूल जाति चमार
5. सुखराम पुत्र स्व0 श्री हरफूल जाति चमार निवासीयान ग्राम चिकानी तहसील अलवर।
6. श्रीमती कल्लो पुत्री स्व0 श्री हरफूल पत्नि श्री शेरसिंह जाति चमार निवासी भजीट तहसील व जिला अलवर।
7. श्रीमती फूला पुत्री स्व0 श्री हरफूल पत्नि श्री छोटेलाल जाति चमार हाल निवासी ग्राम भजीट।
8. श्रीमती नारायण पुत्री स्व0 श्री हरफूल पत्नि श्री प्यारेलाल जाति चमार हाल निवासी ग्राम भजीट तहसील अलवर।

..............असल प्रतिवादी/ रेस्पोडेण्ट

9. श्रीमती चन्द्रपति पत्नि स्व0 श्री मुरली जाति चमार निवासी ग्राम चिकानी तहसील व जिला अलवर (मृतक)

...........तरतीबी प्रतिवादी/ रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–
1. श्री सुषमा शर्मा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री राजबहादुर, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–13.02.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर कैम्प कोर्ट चिकानी के निर्णय दिनांक 07.07.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट द्वारा अधीनस्थ अदालत में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राजात व जारी फरमाये जाने स्थाई निषेधाज्ञा आज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी गत खसरा नंबर 1064 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, जिसके संवत 2020 में खसरा नंबर 842 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा व संवत 2051 में हाल खसरा नंबरान 1609 रकबा 0.01, 1610 रकबा 0.62, 1611 रकबा 0.03, 1612 रकबा 0.10 1613 रकबा 0.70 है0 कायम किया गया है, ग्राम चिकानी तहसील अलवर में स्थित है कि जो आराजी विवादित आराजी है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। आराजी मुतनाजा वादीगण अपीलांट के पिता व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 09 के पति स्व0 श्री मुरली पुत्र हरसुख चमार की मौरूसी खातेदारी की आराजी थी जिस पर उनका कब्जा गत काफी समय से बतौर पट्टेदार के चला आ रहा था।यद्यपि आराजी मुतनाजा की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है व आराजी मुतनाजा कभी भी कस्टोडियन भूमि नही रही है एवं कानूनन वादीगण के पिता व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 09 के पति श्री मुरली विवादित आराजी के खातेदार थे। असल प्रतिवादीगण के पिता व पति श्री हरफूल का विवादित आराजी से कोई ताल्लुक व वास्ता किसी प्रकार का नही रहा किन्तु आपसी सहमति से उक्त श्री मुरली व हरफूल के दरमियान विभाजन होने पर आराजी मुतनाजा का निस्फ भाग यानि 2 बीघा 18 बिस्वा प्रतिवादीगण के पति व पिता श्री हरफूल को दे दिया गया। जिस पर उसका कब्जा चला आ रहा था व निस्फ भाग पर वादीगण अपीलांट के पिता व पति श्री मुरली का कब्जा चला आ रहा था। असल प्रतिवादी के पिता व पति ने अपने हिस्से 2–18 बीघा का पटटा प्राप्त करने के लिये तहसीलदार को आवेदन किया जिसके लिये वादीगण के पिता ने व तर. प्रति. के पति ने ने कोई आपत्ति नही होने का शपथ पत्र पेश किया। जिसके आधार पर साबिक खसरा नंबर 842 मिन रकबा 2–18 बीघा का पटटा संख्या 151 दिनांक 01.07.1995 हरफूल के नाम जारी हुआ व इन्तकाल खातेदारी पटटा के आधार पर दर्ज व तस्दीक कर दिया। इस प्रकार गत खसरा नंबर 842 मिन रकबा 2–18 बीघा का खातेदार प्रति0 के पिता व पति हरफूल हो गया व शेष 2–17 बीघा के खातेदार वादीगण के पिता व तर. प्रति0 के पति मुरली रहे। असल प्रति0 के पिता व पति के स्वर्गवास होने के बाद उनके वारिसान असल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 ने बिना किसी हक व अधिकार के इन्तकाल विरासत संख्या 116 दिनांक 01.02.97 को अपने नाम तस्दीक कराया किन्तु उसमें गत खसरा नंबर 842 रकबा 5–15 बीघा सालिम में दर्ज करा लिया। जबकि विवादित आराजी में उनका मुताबिक सनद पटटा 2–18 बीघा था। इसकी दुरूस्ती के लिये वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र 136 भू–राजस्व अधिनियम पेश किया जिस पर दिनांक 24.01.2007 को प्रा.पत्र स्वीकार फरमाते हुये विवादित आराजी के 0.74 है0 पर प्रतिवादीगण का नाम व शेष 0.72 है0 पर वादीगण व तर.प्रति. का नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये। वादीगण अपीलांट ने विवादित आराजी सालिम का

जो इन्तकाल विरासत संख्या 116 दिनांक 01.02.97 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज व तस्दीक किया है उसे बातिल बेअसर करार दिया जाकर उसे दुरूस्त कर 0.74 है0 पर वादीगण अपीलांटस का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ अदालत द्वारा वाद वादीगण रेस्ज्यूडिकेटा में होने के कारण कैम्प कोर्ट चिकानी में खारिज कर दिया। जिस आदेश दिनांक 07.07.2017 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.05.2017 के अनुसार उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखा गया था एवं इसी आदेशिका में यह भी दर्ज है कि उभयपक्षकारान को लोक अदालत का नोटिस जारी हो किन्तु उक्त आदेश की पालना में कैम्प कोर्ट चिकानी की बाबत कोई नोटिस वादीगण अपीलांटस को नही दिया गया जिस कारण अपीलांटस अपना पक्ष रखने के लिये कैम्प कोर्ट में हाजिर नही हो सके। उसके बाद भी उक्त प्रकरण का निर्णय कैम्प कोर्ट चिकानी में किया गया है। राजस्व कैम्प में केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जो आपसी सदभावना व आपसी राजीनामा के अनुसार निस्तारित हो सकते हों, मैरिटस पर कोई निर्णय पारित नही किया जा सकता है। मौजूदा प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 मनीराम का स्वर्गवास हो चुका था, जिसका प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल भी प्रस्तुत कर दिया था किन्तु अभी तक ना तो उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जबाव पत्रावली पर आया और ना ही उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने या ना लेने का कोई आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत किया गया था, अधीनस्थ न्यायालय ने बिना उक्त प्रार्थना पत्र के जबाव के व बिना उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुने हुये अपने निर्णय दिनांक 07.07.2017 के तहत मौजूदा वाद को आदेश 07 नियम 11 के तहत मौजूदा वाद को आदेश 07 नियम 11 जा.दी के तहत रेसज्यूडीकेटा मानते हुये खारिज फरमाया है, जो कि गलत है। आदेश 07 नियम 11 जा.दी. में रेसजूडिकेटा का बिंदु कवर नही होता है और इस आधार पर वाद वादी आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज नही किया जा सकता था। मौजूदा वाद तथ्यों के अनुसार किसी भी प्रकार से रेस्ज्यूडिकेटा की तारीफ में नही आता है पूर्व में विवादित आराजी की बाबत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था वह महज 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था एवं जिसमें केवल राजस्व अभिलेख के अंकन को सही कराने के लिये निवेदन किया गया था जबकि मौजूदा वाद धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार पूर्व में निर्णय में जो अनुतोष मांगा गया था, मोजूदा वाद में चाहा गया अनुतोष पूर्व वाद के अनुतोष से भिन्न है जो रेसजूडिकेटा की तारीफ में नही आता है और रेसजूडिकेटा के सिद्धान्त के आधार पर मौजूदा वाद खारिज नही किया जा सकता था। मौजूदा वाद में जो इन्तकाल विरासत असल प्रतिवादीगण के पिता व पति श्री हरफूल के स्वर्गवास होने के बाद उनके वारिसान के नाम सालिम आराजी गत

खसरा नंबर 842 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा की बाबत दर्ज व तस्दीक किया गया था, को चैलेन्ज किया गया है। जबकि जो सनद पटटा संख्या 151 दिनांक 01.07.1995 को उक्त श्री हरफूल के नाम तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर द्वारा खसरा नंबर 842 मिन रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा की बाबत जारी किया गया था। इस प्रकार मौजूदा वाद में जो इन्तकाल विरासत संख्या 116 दिनांक 01.02.2017 के असल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज व तस्दीक किया गया है वह विवादित है। और इस प्रकार मौजूदा वाद पर रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त पर लागू नही होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्ज्यूडिकेटा के आधार पर वाद खारिज फरमाया है जो एक फाईनल आदेश है और जिसमें पर्चा डिक्री बनाया जाना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय की पालना में पर्चा डिक्री नही बनाई। अंतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर कैम्प चिकानी दिनांक 07.07.2017 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण को पुनः विचारण के लिये अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है कि हरसुख के दो पुत्र हैं हरफूल और मुरली। दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा साथ साथ रहते हैं। जिनका आराजी खसरा नंबर 842 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम चिकानी तहसील बहादरपुर अलवर में स्थित है। आराजी खसरा नंबर 842 के न ये नंबर 1064 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा बने तथा संवत 2051 में खसरा नंबर 1609 रकबा 0.1, 1610 रकबा 0.62, 1611 रकबा 0.03, 1612 रकबा 0.10, 1613 रकबा 0.70 बने। हरफूल व मुरली दोनों ने आपसी सहमति से उक्त आराजी में से 2 बीघा 18 बिस्वा प्रतिवादी के पिता हरफूल के हिस्से में व शेष 2 बीघा 17 बिस्वा वादी के पिता अपीलांट मुरली के हिस्से में देने का समझौता किया। इस समझौते के आधार पर हरफूल ने 2 बीघा 18 बिस्वा का पटटा लेने के लिये तहसीलदार अलवर के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया तथा जो कीमत थी उसे जमा कराने के लिये भी प्रार्थना की जिसमें मुरली ने शपथ पत्र के आधार पर अपनी सहमति दी और उसी सहमति के आधार पर हरफूल के नाम से 2 बीघा 18 बिस्वा का पटटा जारी हो गया जिसका इंतकाल भी स्वीकार हो गया तथा इसी अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गये।इसके बाद हरफूल का स्वर्गवास हो गया और खातेदारी का इंतकाल हरफूल के वारिसों के नाम से चढ गया जो इस समय रेस्पो0 है। दोनों पक्षों ने मिलकर 136 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें भी यह निश्चय किया गया कि 2 बीघा 18 बिस्वा हरफूल की रहेगी और 2 बीघा 17 बिस्वा मुरली की रहेगी जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी ने आदेश पारित कर दिया लेकिन वादी अपीलांट के अंदर बदयंती आ गई और उसने एक दावा इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई का पेश कर दिया जबकि इसी अदालत के द्वारा दिनांक 24.01.2007 को उपखण्ड अधिकारी ने निर्णय कर दिया और दुबारा उक्त आराजी को लेकर पुनः वादी अपीलांट के द्वारा किया गया जो गलत है।वादी अपीलांट ने पूर्व में एक बार जो रिलीफ जो विवाद्यक बिंदु तय करवाने चाहे थे वो उपखण्ड अधिकारी अलवर के द्वारा तय कर दिया गया था फिर पुनः उन्ही खसरा नंबर व उन्ही पक्षकारान के मध्य पुनः दावा करना गलत है. जो रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त पर आधारित होता है। रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त है कि जब एक बार एक ही आराजी व एक ही पक्षकारान के संबंधित वाद हो तो पूर्ववर्ती वाद के विवाद्यक तय हो तो

रेसज्यूडिकेटा लागू होगा। रेसज्यूडिकेटा के आधार पर जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया है उसे यथावत रखा जावे।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की।
आरआरसी 2001 पेज 28, आरआरडी 2003 पेज 463, आरआरडी 2005 पेज 430.

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपील के तथ्य तथा वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर कैम्प चिकानी के निर्णय दिनांक 07.07.2017 का अवलोकन किया गया । बहस पर मनन किया गया। भू राजस्व अधिनियम धारा 136, आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानों का भी अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में पेश कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर लागू नही होती हैं क्यों कि पूर्व आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम धारा 136 के अंतर्गत था जोकि वाद न होकर एक प्रार्थना पत्र पर आदेश था।

भू अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी भी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे। परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किंसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नही की जायेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नही दे दिया गया हो।

न्यायालय का मत है कि यदि कोई डिस्प्यूट बंदोबस्त खत्म होने के वक्त पेंडिंग नही है तो उपखण्ड अधिकारी को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत या किसी अन्य धारा के अंतर्गत बंदोबस्त विभाग द्वारा किये गये इन्द्राज को बंदोबस्त खत्म होने के बाद निरस्त करने का अधिकार नही है। उपखण्ड अधिकारी को सेटलमेंट बन्द होने के बाद किसी भी रिकार्ड को दुरूस्त करने के अधिकार नही रहते। अतः उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत दिया गया आदेश क्षेत्राधिकार के परे है।

प्रा.पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. में वाद पत्र 'क' से 'ञ' तक ही वादपत्र नामंजूर किये जाने के आधार हैं। वाद के अभिकथनों से ऐसा कोई भी तथ्य प्रकट नही होता है कि आदेश 07 नियम 11 में वादपत्र को नामंजूर किया जावे। तहत अदालत द्वारा आदेश 07 नियम 11 की गलत व्याख्या कर वाद पत्र खारिज किया है जो कि एक विधिक त्रुटि है।धारा 11 जा.दी भी इस प्रकरण पर लागू नही होती जिसकी व्याख्या धारा 136 के संदर्भ में उपर्युक्त पैराग्राफ में विस्तृत रूप से की गई है।

आराजी गत खसरा नंबर 1064 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, जिसके संवत 2020 में खसरा नंबर 842 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा व संवत 2051 में हाल खसरा नंबरान 1609 रकबा 0.01, 1610 रकबा 0.62, 1611 रकबा 0.03, 1612 रकबा 0.10, 1613 रकबा 0.70 है0 बने हैं। जमाबंदी ग्राम चिकानी संवत 2020 खाता संख्या 167 खसरा नंबर 842 मेडा वाला 5 बीघा 15 बिस्वा मुरली पुत्र हरसुख कौम चमार सा.देह पटटेदार गैर खातेदार के नाम अंकन है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2046 खाता संख्या 363 साबिक खसरा नंबर 842 रकबा 5 बीघा

15 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल मुरली पुत्र हरसुख जाति चमार गैर खातेदार कस्टोडियन दर्ज है।

कार्यालय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर द्वारा विवादित आराजीयात बाबत दिनांक 03.06.1995 की उज्रदारी इश्तहार जारी किया गया था जिस पर हरफूल पुत्र हरसुख जाति चमार द्वारा प्रा. पत्र पेश कर उसके नाम की गैर खातेदारी कस्टोडियन भूमि की कीमत जमा करवाकर पटटेदार खातेदार करने की प्रार्थना पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत की एवं दिनांक 19.06.95 को एक हलफनामा इस आशय का भी पेश किया कि भाईयों ने जमीन बांट रखी है उसी के अनुसार भाई कीमत कस्टोडियन जमा करवाकर पटटा लेने के लिये स्वतंत्र हैं। नामांतरण संख्या 55 दिनांक 04.07.95 के अनुसार खसरा नंबर 842 मिन रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा हरफूल पुत्र हरसुख के नाम खातेदारी दर्ज अंकित है। नामांतरण संख्या 116 दिनांक 01.02.1997 हरफूल पुत्र हरसुख की विरासत का नामांतरण मनीराम, सीताराम, संतराम बगैरा के नाम दर्ज हुआ जिसमें खसरा नंबर 842 का संपूर्ण रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा दर्ज हो गया। जो कि राजस्व कर्मियों की गलती से बिना किसी राजस्व रिकार्ड के आधार पर दर्ज हुआ है। जो कि कलमजन किये जाने योग्य है। इस कारण जमाबंदी रोटेशन में उनके उत्तराधिकारियों का नाम काश्तकार के रूप में अंकित होता चला आ रहा है।

इस प्रकार राजस्व कर्मियों द्वारा बिना किसी रिकार्ड के आधार पर नामांतरण संख्या 116 विधिक रूप से त्रुटि कर संपूर्ण आराजीयात वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई। अतः उक्त बिना किसी राजस्व रिकार्ड के आधार पर हुये नामांतरण के आधार पर वारिसान के नाम वारिसान की खातेदारी में दर्ज संपूर्ण आराजी 5 बीघा 15 बिस्वा में से खसरा नंबर 842 मिन रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा ही दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। खसरा नंबर 842 में से शेष रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा को नामान्तरण संख्या 116 अपास्त किया जाकर रेस्पो0 के खातेदारी अधिकार रिकार्ड से कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं।

चूंकि उक्त आराजीयात कस्टोडियन भूमि है अतः शेष आराजीयात खसरा नंबर 842 मिन रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा का अपीलांट कीमत जमा करवाकर पटटा लेने हेतु कानूनी रूप से अधिकारी है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजीयात साबिक खसरा नंबर 842 मिन रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा का कीमतन पटटा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार 3 माह की अवधि में पटटा जारी किया जावे।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर कैम्प कोर्ट चिकानी के निर्णय दिनांक 07.07. 2017 निरस्त किया जाता है। तदनुसार पर्चा–डिक्री जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर